कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेरठ।

पत्रांकः– सीएमओ/एनएचएम/आरबीएसके–सह0पर्य0/2017 8 दिनांकः– 06.04.2017

1–5–17

मैसर्स बजरंग ट्रैवल्स,
46, शिवाखण्ड, विश्वकर्मा नगर,
दिल्ली।

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, विशाल काम्पलेक्स, 19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ के निर्देशानुसार आपको आदेशित किया जाता हैं कि आप द्वारा जनपद में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टूर प्रोग्राम में किराये पर गाड़ी उपलब्ध कराने हेतु आपका अनुबन्ध पूर्व निर्धारित शर्तों एवं दरों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु दिनांकः– 01.04.2017 से पुनः निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने में जो भी पहले हो तक वैध होगा।

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
आर0सी0एच0, मेरठ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
मेरठ।

पत्रांकः– सीएमओ/एनएचएम/आरबीएसके–सह0पर्य0/2017 तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामु0/प्रा0 स्वा0 केन्द्र, जनपद मेरठ।
2. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, मेरठ।

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
आर0सी0एच0, मेरठ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
मेरठ।

मुख्य विकास अधिकारी /उपाध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद मेरठ।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में योजना के सफल संचालन हेतु जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक दिनांक 28.03.2017 को अपरान्ह: 02:00 बजे बचत भवन मेरठ में जिला विकास अधिकारी मेरठ की अध्यक्षता में संयोजक एवं सदस्यों की उपस्थिति में आहूत की गई। बैठक की उपस्थिति एवं कार्यवृत्त निम्नानुसार हैं।

जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद मेरठ की बैठक में मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति,मेरठ एंव समस्त सदस्यों का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेरठ ने स्वागत करते हुए श्री इमरान खान, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, मेरठ को जिला स्वास्थ्य समिति की कार्यकारणी समिति द्वारा अवलोकित एंव अनुमोदित प्रस्तावों का जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण करने के लिए निर्देशित किया।

जिला स्वास्थ्य समिति, मेरठ–शासी निकाय बैठक कार्यवृत्त
दिनांकः– 28 मार्च 2017 स्थानः– कलेक्ट्रेट सभागार, मेरठ

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तगर्त जिला स्वास्थ्य समिति मेरठ की वित्तीय वर्ष 2016–17 माह मार्च 2017 की मासिक बैठक मुख्य विकास अधिकारी महोदय मेरठ की अध्यक्षता में अपरान्हः 02:00 बजे आहुत की गई बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहेः–

क0सं0	नाम	पद नाम
1	श्री अतुल मिश्रा	जिला विकास अधिकारी मेरठ,
2	डा0 वीरेन्द्र पाल सिंह	मुख्य चिकित्सा अधिकारी मेरठ
3	डा0 बंसल	एस0आई0सी0 पुरूष चिकित्सालय,मेरठ
4	डा0 मंजू मलिक	एस0आई0सी0 महिला चिकित्सालय मेरठ
5	डा0 शरद त्यागी	अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आर.सी.एच. मेरठ
6	डा0 अजय घई	अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रतिरक्षण मेरठ।
7	डा0 वाई0पी0सिंह	अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी,मेरठ
8	डा0 विश्वास चौधरी	अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी,मेरठ
9	डा0 राजकुमार	अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी,मेरठ
10	डा0 आशोक कुमार	उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी,मेरठ
11	डा0 सुधीर कुमार	यू.एम.ओ. मेरठ
12	डा0 रचना टण्डन	आई0डी0एस0पी0कार्यालय मु0चि0अ0,मेरठ
13	डा0 एस0पी0सिंह	एम0ओ0आई0सी0सामु0स्वा0केन्द्र मावनपुर,मेरठ
14	डा0 संदीप गौतम	एम0ओ0आई0सी0सामु0स्वा0केन्द्र परीक्षितगढ
15	डा0 बीरेन्द्र कुमार	एम0ओ0आई0सी0सामु0स्वा0केन्द्र मवाना
16	डा0 आशुतोष कुमार	एम0ओ0आई0सी0सामु0स्वा0केन्द्र भुडबराल
17	डा0 अनिल कुमार	एम0ओ0आई0सी0सामु0स्वा0केन्द्र जानी खुर्द
18	डा0 गजेन्द्र सिंह	एम0ओ0आई0सी0सामु0स्वा0केन्द्र दौराला
19	डा0 आलोक नायक	एम0ओ0आई0सी0सामु0स्वा0केन्द्र,माछरा
20	डा0 श्रीराम प्रेमी	एम0ओ0आई0सी0सामु0स्वा0केन्द्र सरधना
21	डा0 सुधीर कुमार	एम0ओ0आई0सी0सामु0स्वा0केन्द्र रोहटा
22	डा0 आर0 के0 सिरोहा	एम0ओ0आई0सी0सामु0स्वा0केन्द्र खरखौदा
23	श्री इमरान खान	डी0पी0एम0 एन0एच0एम0 मेरठ

(छायाप्रति संलग्न) के संदर्भ में अवगत कराना है कि भारत सरकार ने [illegible] किया है, जिसमें समस्त सरकारी व प्राइवेट संस्थाओं का पंजीकरण किया जाना अनिवार्य है। तत्पश्चात संस्थाओं को एक यूनिक आई0डी0 नम्बर उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका रिकार्ड जिला क्षयरोग केन्द्र पर रखा जायेगा तथा निम्न एनजीओ जोकि विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत कार्य कर रहें है, के रजिस्टेशन उपरान्त यूनिक आई0डी0 नम्बर उपलब्ध होने के पश्चात ही भुगतान सम्भव हो पायेगा, व निम्न एनजीओ द्वारा रजिस्टेशन न0 उपलब्ध भी करा दिया गया है। संतोष नर्सिंग होम द्वारा पत्र प्राप्त हुआ है कि पेन कार्ड उपलब्ध न होने के कारण रजिस्टेशन संभव नही हो पा रहा है। व जल्द ही रजिस्टेशन न0 उपलब्ध करा दिया जायेगा। आरएनटीसीपी कार्यकम के अन्तर्गत कार्य कर रहें निम्न एनजीओ जो स्कीम "ए" तथा स्कीम 'बी" के अन्तर्गत कार्य कर रहें थे, डॉ0 आलोक रंजन, राज्य क्षय नियंत्रण अधिकारी, लखनऊ प्राप्त ई–मेंल में नई गाईलाइन प्राप्त हुई है व सभी एनजीओ को वितिय वर्ष 2017–18 मे नई स्कीम के अन्तर्गत एमओयू हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 मे पुरानी स्कीम के अनुसार भुगतान करने का व सुभारती मेडिकल कालेज मे माह सितम्बर 2016 मे आरएनटीसीपी स्टाफ उपलब्ध करा दिया गया था। व इनका भुगतान अप्रैल 2016 से सितम्बर 2016 (छः माह) तक का भुगतान करने का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

क्र.स.	एनजीओ का नाम	स्कीम, जिसके अन्तर्गत एनजीओ कार्यरत है	निति आयोग का रजिस्टेशन नं0	विवरण
1	फलाह–ए–आम चैरिटेबिल अस्पताल	स्कीम – ए	UP/2016/01103825	स्कीम–ए के अन्तर्गत सम्बद्ध लैब को नियमानुसार वार्षिक 150000 रू. दिया जाता है
2	सुभारती मैडिकल कालेज	स्कीम – ए	UP/2017/0115955	
3	सन्तोष नर्सिंग होम	स्कीम – बी	रजिस्टेशन नं0 प्राप्त नही हुआ है।	स्कीम–बी के अन्तर्गत सम्बद्ध लैब को नियमानुसार रोगियों की जांच हेतु बनायी गयी स्लाइड्स की संख्या के आधार पर (प्रति स्लाइड 25 रू) भुगतान किया जाता है।
4	सहारा नर्सिंग होम	स्कीम – बी	UP/2017/0116177	
5	लोकप्रिय अस्पताल	स्कीम – बी	UP/2017/0115955	

दिनांक 28 मार्च 2017 की जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा लिया गया निर्णय :– जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि उपरोक्त एनजीओं के सत्यापन उपरान्त ही नई स्कीम के अन्तर्गत एमओयू कराया जाये।

प्रस्ताव सं–5

अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में विभिन्न कार्यकमों के सुचारू रूप से संचालन हेतु निम्न टेम्डर किये जाने आवश्यक है परन्तु आचार संहिता के चलते निम्न टेण्डर पूर्ण नही किये जा सके।

1. सर्पोटिंग सुपरविजन हेतु किराये के वाहन।
2. आशा ट्रेनिंग हेतु भोजन व्यवस्था।
3. आउटसोर्सिंग के माध्यम से बी.पी.एम., एम.सी.टी.एस. ऑपरेटर के मानव संसाधन की व्यवस्था।

अतः उपरोक्त टेण्डर पूर्ण किये जाने हेतु 1 माह का समय अथवा टेण्डर प्रकिया पूर्ण किये जाने तक पूर्व में किये गये टेण्डर के आधार पर ही कार्य किये जाने का प्रस्ताव जिला स्वास्थ्य समिति के ,समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

दिनांक 28 मार्च 2017 की जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा लिया गया निर्णय :– जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा टेण्डर कार्य को एक माह के अन्दर पूर्ण किये जाने के लिए निर्देशित करते हुए प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव सं–6 जिला कार्यकम प्रवंधन इकाई के स्थानान्तरण के सम्वन्ध में।

जिला कार्यकम प्रवंधन इकाई प्रस्ताव में क्वालिटी एश्योरेन्स सेल व एन.यू.एच.एम. सेल की युनिट का समायोजन उपरान्त कार्यालय में स्थान की कमी होने के कारण जिला कार्यकम प्रवंधन इकाई के स्थानान्तरण के उददेश्य से अनुमति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।